भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 720
दिनांक 25.07. 2023/03 श्रावण,1945 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं का उत्पीड़न

720. डॉ. चन्द्र सेन जादौन:
डॉ. संघमित्रा मौर्य:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री संजय जाधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में महिला उत्पीड़न विशेषकर बलात्कार और हत्या के मामले बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामले की कुल अपराध और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी सिध्द हुए अभियुक्त की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में शामिल पाए गए और दोषमुक्त किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस संबंध में क़ानून लचीला है और इससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(च) क्या सरकार की महिलाओं के विरुध्द हिंसा को रोकने के लिए कोई समिति गठित की योजना है और यदि हां, तो उक्त समिति मे किन व्यक्तियों को शामिल किए जाने की संभावना है अथवा कौन-कौन से व्यक्ति उक्त समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित जानकारी संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2021 तक की उपलब्ध हैं। वर्ष 2017 से 2021 के दौरान बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या, बलात्कार एवं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर किए गए हमलों के तहत दर्ज किए गए मामले, दोषसिद्ध व्यक्तियों और दोषमुक्त व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 720, दिनांक 25.07.2023

(ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की जांच करने एवं अभियोजन चलाने समेत कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार ने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो नीचे दिये गये हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने तथा आरोप पत्र दायर करने और विचारण को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. "आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली" में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षमता निर्माण जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लॉन्च किया है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 720, दिनांक 25.07.2023

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने कमी के विश्लेषण और मांग के मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता के सृजन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 14,950 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(च): महोदय, वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

*****

वर्ष 2017 से 2021 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) और दोषमुक्त व्यक्ति (पीएक्यू) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017			2018			2019			2020			2021		
		सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	6	0	1	4	1	4	6	0	2	5	0	2	2	0	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	27	0	0	66	6	1	26	2	2	26	0	1	46	0	0
4	बिहार	0	0	0	9	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	0
5	छत्तीसगढ़	3	0	0	10	2	0	3	0	0	8	3	0	8	0	0
6	गोवा	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	गुजरात	4	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	7	5	0
8	हरियाणा	8	3	1	26	2	2	6	6	3	2	0	0	11	0	2
9	हिमाचल प्रदेश	7	0	0	7	0	1	13	3	1	8	0	4	0	1	0
10	झारखंड	6	0	0	7	0	0	4	1	0	9	0	0	20	0	2
11	कर्नाटक	7	0	0	16	1	0	23	1	0	7	0	1	18	0	0
12	केरल	4	0	0	1	0	1	14	2	1	1	0	0	2	0	0
13	मध्य प्रदेश	21	8	0	46	10	0	37	9	0	27	10	0	35	20	7
14	महाराष्ट्र	26	17	26	17	5	22	47	12	26	20	0	3	23	2	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	4	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	9	5	2	1	0	0	3	0	0	18	0	0	12	0	0
20	पंजाब	3	0	0	4	2	0	0	0	0	5	2	0	4	0	0
21	राजस्थान	4	0	0	6	1	0	7	2	1	8	0	0	14	4	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23	तमिलनाडु	2	0	0	4	0	0	8	0	0	3	1	0	5	0	0
24	तेलंगाना	3	0	0	6	0	2	20	1	0	14	2	0	12	1	1
25	त्रिपुरा	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0
26	उत्तर प्रदेश	64	9	2	41	5	0	34	8	0	31	8	0	48	12	0
27	उत्तराखंड	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	3	1	0	6	0	0	7	1	0	9	0	0	5	0	0
	कुल (राज्य)	**213**	**46**	**32**	**291**	**35**	**33**	**278**	**49**	**36**	**218**	**26**	**12**	**278**	**46**	**14**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमण और दीव+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
32	दिल्ली	6	2	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर*	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**10**	**2**	**0**	**3**	**1**	**0**	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**223**	**48**	**32**	**294**	**36**	**33**	**284**	**49**	**36**	**219**	**26**	**12**	**284**	**46**	**14**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2017-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2017-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

वर्ष 2017 से 2021 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) और दोषमुक्त व्यक्ति (पीएक्यू) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017			2018			2019			2020			2021		
		सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	988	149	836	971	113	772	1086	88	867	1095	40	569	1188	34	376
2	अरुणाचल प्रदेश	59	1	4	67	3	3	63	2	1	60	0	1	83	13	8
3	असम	1772	76	469	1648	47	928	1773	49	485	1657	14	474	1733	31	380
4	बिहार	605	134	225	651	123	115	730	83	192	806	47	31	786	91	49
5	छतीसगढ़	1908	618	979	2091	463	903	1036	539	870	1210	148	201	1093	184	339
6	गोवा	76	15	67	61	7	46	72	1	38	60	4	16	72	1	21
7	गुजरात	477	37	283	553	20	179	528	31	165	486	8	77	589	14	134
8	हरियाणा	1099	203	800	1296	182	842	1480	128	779	1373	38	146	1716	87	483
9	हिमाचल प्रदेश	249	29	144	344	31	117	359	58	115	331	36	67	358	49	100
10	झारखंड	914	426	167	1090	129	298	1416	388	251	1321	220	162	1425	159	106
11	कर्नाटक	546	71	491	492	84	460	505	35	339	504	29	358	555	50	386
12	केरल	2003	159	432	1945	218	625	2023	125	586	637	828	509	771	150	654
13	मध्य प्रदेश	5562	1694	3162	5433	1235	2426	2485	1020	2236	2339	402	646	2947	860	2107
14	महाराष्ट्र	1933	195	1036	2142	217	1118	2299	180	1144	2061	111	450	2496	107	711
15	मणिपुर	40	9	2	52	4	6	36	8	7	32	2	4	26	0	10
16	मेघालय	119	11	2	87	8	17	102	45	78	67	9	15	75	10	15
17	मिजोरम	25	10	4	50	3	0	42	21	3	33	11	3	26	6	2
18	नागालैंड	10	16	3	10	9	1	8	4	5	4	6	1	4	0	1
19	ओडिशा	2070	181	885	918	149	936	1382	122	703	1211	33	176	1456	53	493
20	पंजाब	530	129	342	831	204	493	1002	259	650	502	79	217	464	113	367
21	राजस्थान	3305	810	1299	4335	691	967	5997	987	837	5310	821	899	6337	888	848
22	सिक्किम	17	9	8	16	8	12	11	2	3	12	0	4	8	4	1
23	तमिलनाडु	283	101	611	331	85	543	362	77	393	389	43	176	422	43	235
24	तेलंगाना	552	46	394	606	22	260	873	42	401	764	46	292	823	69	433
25	त्रिपुरा	95	19	49	97	10	83	88	21	79	79	4	27	61	6	23
26	उत्तर प्रदेश	4246	1341	604	3946	1517	871	3065	1037	579	2769	1308	502	2845	968	546
27	उत्तराखंड	374	87	55	561	41	61	526	144	68	487	50	71	534	118	116
28	पश्चिम बंगाल	1084	75	898	1069	92	618	1068	79	875	1128	14	441	1123	22	296
	कुल (राज्य)	**30941**	**6651**	**14251**	**31693**	**5715**	**13700**	**30417**	**5575**	**12749**	**26727**	**4351**	**6535**	**30016**	**4130**	**9240**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	13	0	6	30	2	6	13	4	18	2	0	9	15	0	21
30	चंडीगढ़	65	46	59	86	39	27	112	16	26	60	9	15	74	10	17
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमण और दीव+	8	3	11	10	6	18	4	0	6	4	0	1	3	0	7
32	दिल्ली	1229	234	486	1215	178	408	1253	173	554	997	94	106	1250	70	129
33	जम्मू एवं कश्मीर*	296	23	255	320	29	232	223	19	277	243	9	169	315	17	143
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	2	2	0	1
35	लक्षद्वीप	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	7	0	0	0	0	0	10	0	0	8	10	5	2	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**1618**	**306**	**817**	**1663**	**254**	**691**	**1615**	**212**	**881**	**1319**	**122**	**307**	**1661**	**97**	**318**
	कुल (अखिल भारत)	**32559**	**6957**	**15068**	**33356**	**5969**	**14391**	**32032**	**5787**	**13630**	**28046**	**4473**	**6842**	**31677**	**4227**	**9558**

स्रोत: क्राइम इन इंडिय

नोट: '+' वर्ष 2017-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े '*' वर्ष 2017-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

लोक सभा अता. प्र. सं. 720 दिनांक 25.07.2023

अनुलग्नक-III

वर्ष 2017 से 2021 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के लिए महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर किए गए पर हमले के तहत दर्ज मामले (सीआर), दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी) और दोषमुक्त व्यक्ति (पीएक्यू) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017			2018			2019			2020			2021		
		सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	पीसीवी	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	5129	364	3915	4445	333	4138	4444	229	2277	4886	116	1189	5108	88	897
2	अरुणाचल प्रदेश	97	0	6	103	5	4	80	2	2	73	1	0	74	1	6
3	असम	3569	50	516	4180	85	1499	4619	87	1031	4642	16	791	4499	36	600
4	बिहार	197	16	49	262	24	34	312	6	82	584	2	21	387	19	25
5	छत्तीसगढ़	1899	611	976	1854	474	669	1316	590	1097	1461	400	501	1248	227	390
6	गोवा	134	2	55	125	10	62	119	4	41	67	0	43	74	5	26
7	गुजरात	1058	43	750	1208	30	553	1048	37	641	846	8	234	660	24	370
8	हरियाणा	2031	322	1250	2671	238	1019	2581	230	1086	2339	67	227	2882	145	583
9	हिमाचल प्रदेश	397	21	207	513	29	182	498	38	269	538	23	138	487	22	127
10	झारखंड	748	121	92	1378	89	261	1646	161	281	1358	170	156	1335	157	96
11	कर्नाटक	5763	104	5061	5204	143	4471	4937	120	5119	4751	82	2255	5105	183	4514
12	केरल	4413	395	1666	4544	333	2062	4507	276	1638	3890	176	4769	4059	164	1011
13	मध्य प्रदेश	9252	2757	3729	8790	2935	3133	5585	1711	2961	5378	651	1037	5760	1483	1703
14	महाराष्ट्र	9392	511	3369	10835	640	3797	10472	579	3457	9965	239	1575	10568	310	2112
15	मणिपुर	66	5	3	56	4	3	59	4	3	61	0	2	92	0	1
16	मेघालय	88	5	8	95	5	18	96	89	66	86	5	7	92	4	6
17	मिजोरम	64	36	8	67	21	1	35	14	1	26	20	2	31	10	3
18	नागालैंड	12	9	2	10	3	0	8	0	0	7	1	0	11	14	1
19	ओडिशा	9132	102	2016	9973	214	2989	11308	206	2773	12605	44	961	14853	17	777
20	पंजाब	933	162	443	956	188	506	944	189	563	731	58	139	678	79	203
21	राजस्थान	4883	1215	1322	5249	1354	1220	8802	1787	1429	8661	1490	1041	9079	1632	1276
22	सिक्किम	21	10	4	23	7	5	21	2	1	18	1	3	17	1	6
23	तमिलनाडु	744	239	945	814	171	819	803	138	653	892	93	348	1077	165	552
24	तेलंगाना	4409	85	1426	4567	327	1671	4190	171	1995	4907	340	596	4365	125	566
25	त्रिपुरा	225	27	68	165	13	86	153	33	121	115	12	45	94	4	52
26	उत्तर प्रदेश	12607	3583	1013	12555	4306	1477	11988	3802	1763	9864	3297	2305	9393	3347	1501
27	उत्तराखंड	435	131	46	548	39	28	475	146	152	474	7	24	655	40	71
28	पश्चिम बंगाल	3832	34	1769	3399	68	1235	3291	36	1229	2488	25	1178	2485	23	1268
	कुल (राज्य)	**81530**	**10960**	**30714**	**84589**	**12088**	**31942**	**84337**	**10687**	**30731**	**81713**	**7344**	**19587**	**85168**	**8325**	**18743**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	38	7	33	35	10	19	25	6	16	15	2	15	32	3	14
30	चंडीगढ़	100	20	58	100	35	39	66	15	27	42	3	14	37	5	38
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमण और दीव+	9	0	5	11	0	15	8	0	8	6	0	3	7	0	8
32	दिल्ली	2874	382	567	2705	313	546	2355	466	804	1840	199	234	2068	159	231
33	जम्मू एवं कश्मीर*	1417	78	1619	1597	31	1514	1440	33	1355	1744	13	687	1851	48	657
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	2	5	4	3
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0
36	पुदुचेरी	33	0	0	60	5	6	23	0	0	25	16	0	31	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**4471**	**487**	**2282**	**4508**	**394**	**2139**	**3922**	**520**	**2210**	**3679**	**233**	**955**	**4032**	**219**	**951**
	कुल (अखिल भारत)	**86001**	**11447**	**32996**	**89097**	**12482**	**34081**	**88259**	**11207**	**32941**	**85392**	**7577**	**20542**	**89200**	**8544**	**19694**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2017-2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े '*' वर्ष 2017-2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े।